## अत्तासगढ शक्षाणक सस्थाअ G KAISAI रंगिंग) का प्रतिषध आधातयम-200

हिंसना खुरी बात है।

R

परिभाषाएँ :- रेगिंग से अभिप्रेत हैं किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्पेरित, बाध्य या मजबूर करता जिससे उसके लातवीय मूल्यों का हतत या उसके व्यक्तित्व का अपमात या उपहोस अभिदर्शित हो,या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध -प्रतिरोध, या उसे क्षति पहुंचाना, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धनकी, दोषपूर्ण अनरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

रेगिंग का प्रतिरोधः- किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

दण्डः - यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लेघन करता है या उल्लेघन करने का प्रयास करता है या रेगिंग करने के लिये दुष्प्रोरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नही होगा या जुर्मानें से जो 5 हजार रुपये से अधिक नही होगा यी दोनों से दडित किया जा सकेगा l अपराध का संज्ञेय,अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होता :- इस अधिनियम के अधीन यत्येक अपराध संज्ञेय,

अजमानतीय एवं अप्रशमतीय होगा । एत्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता:-(1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रद्यान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश वर्जित करने का अधिकार होगा । (2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र,जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षाणिक संस्था से निष्कासन

के लिये जिल्लेदार होगा ।

(3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य मोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिंहदोष 'पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश जही दिया जायेगा ।

अपराधों का विचारण :- इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रधन वर्ष के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

